सत्यमेव जयते

THE

JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

7 Ashadh , 1943 (S)

No. 332

RANCHI, Monday, 28th June, 2021

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Notification No. - 03/2021 – State Tax(Rate)

S.O. No. 45, Dated 25th June, 2021-- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, No.06/2019- State Tax (Rate), dated the 26th April, 2019, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 47, dated the 26th April, 2019—

In the said notification, in the first para,-

(a) for the words "***in whose case the liability to***", the words "**who shall"** shall be substituted.

(b) for the words "*shall arise on the date of issuance of completion certificate for the project, where required, by the competent authority or on its first occupation, whichever is earlier.*", the words and symbols "**in the tax period not later than the tax period in which the date of issuance of the completion certificate for the project, where required, by the competent authority or dateof its first occupation, whichever is earlier, falls.**" shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 2nd day of June, 2021.

[File. No. VaKar/GST/02/2020]

By the order of the Governor of Jharkhand,

Aradhana Patnaik,

Secretary,

Commercial taxes Department.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 03/2021- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 45, दिनांक 25 जून, 2021-- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 06/2019- राज्य कर (दर), दिनांक 26 अप्रैल, 2019, जिसे एस. ओ. सं. 47, दिनांक 26 अप्रैल, 2019 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ में,-

(**क**) शब्द "जिनके मामले में राज्य कर का भुगतान करने की देयता है" के स्थान पर शब्द "**जो कि इन पर** राज्य **कर का भुगतान करेंगे" को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।**

(ख) शब्द "**सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जहां अपेक्षित हो, आरईपी के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि या उनके प्रथम कब्जे पर, जो भी पहले हो को उत्पन्न होगा**" के स्थान पर शब्द "**उस कर अवधि में, जो कि ऐसी कर अवधि के बाद न हो, जिसमें, जहां भी आवश्यक हो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा परियोजना से संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र को जारी किए जाने की तारीख या इसके पहले कब्जे की तारीख, जो भी पहले हो, पड़ती हो**"को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 2 जून, 2021 को प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा0कर/जी0एस0टी0/02/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

आराधना पटनायक,

सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग ।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 06/2019- राज्य कर (दर), दिनांक 26 अप्रैल, 2019 को एस. ओ. सं. 47, दिनांक 26 अप्रैल, 2019 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 332 -- 50